श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

राम चमकते भानु समाना

समता भवन निर्माण समिति

नीति, संरचना एवं क्रियान्वयन योजना

क्र.सं.	कार्य विवरण	उतरदायित्व	समय सीमा	Remark
01	स्थानीय संघ से लिखित आवेदन प्राप्त	स्थानीय संघ	–	लिखित आवेदन ही स्वीकार करना
02	समिति द्वारा आवेदन पर चर्चा कर विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए स्थानीय संघ को सूचना के साथ पूरी डिटेल्स भिजवाना। [Page] 1. वांछित विवरण का प्रारुप 02 2 एम.ओ.यू. स्थानीय संघ 03 3. समता भवन निर्माण प्रक्रिया 04-06 4. वित्तीय सहायता प्रक्रिया व प्रणाली 07-09 5. समता भवन लेखा जाँच सूची 10 6. परठने का प्रारुप 11-12 7. समता भवन आचार संहिता 13 8. समता भवन शिलान्यास एवं उद्घाटन प्रक्रिया 14	निर्माण समिति	07 दिन	स्थानीय संघ को पत्र के माध्यम से सभी प्रारुप भिजवाने व निर्देश के साथ संलग्न प्रारुप कार्यसमिति एवं आम संभा में पास कर वांछित विवरण भिजवाए
03	समता भवन हेतु प्लॉट/भूमिक्रय/उपहार व अन्य विवरण प्राप्त करना (वांछित विवरण)	स्थानीय संघ	07 दिन	
04	वांछित विवरण प्राप्त होने पर आपस में चर्चा कर संभावित निर्माण एवं फंड अलॉटमेन्ट का एक **Draft Report** बनाना। 1. परिवार संख्या के अनुसार 2. वित्तीय संरचना 1. निर्माण हेतु निधि 2. भुमि प्रदाता	निर्माण समिति एवं संबंधित पक्ष	07 दिन	समिति के सदस्य या आंचलिक पदाधिकारी या समन्वयक के माध्यम से स्थानीय संघ में विजीट कर या जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट बनाना
05	संबधित पक्षो में बैठक – **Legal/Architect/Contruction Expert (as per list Attach)**	निर्माण समिति एवं संबंधित पक्ष	07 दिन	**Zoom Meeting**
06	आवेदक एवं संबधित पक्षो के साथ बैठक	निर्माण समिति एवं संबंधित पक्ष	07 दिन	**Zoom Meeting**
07	स्वीकृति एवं क्रियान्वन की सूचना	निर्माण समिति एवं संबंधित पक्ष	07 दिन	पत्र के माध्यम से पूर्ण डिटेल्स के साथ

समता भवन/उपहार स्वरूप प्राप्त/स्थानांतरण आदि की जांच सूची

व्यक्तिगत विवरण

क्र.सं	विवरण	व्यक्ति का नाम	संपर्क सूत्र
1	दानदाता का नाम		
2	स्थानीय संघ अध्यक्ष/मंत्री का नाम		
3	अधिकृत व्यक्ति का नाम		
4	केन्द्रीय कार्यालय समता भवन दस्तावेज समन्वयक का नाम		7976520588, 9602026899
5	केन्द्रीय कार्यालय समता लेखा शाखा समन्वयक का नाम	श्री यश गोलछा	7073311108

संपत्ति हस्तांतरण एवं प्रक्रिया संबंधित विवरण

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	दिनांक	विवरण	संपन्नकर्ता
1	संपत्ति के खरीद/उपहार स्वरूप प्रदान के लिए अनुरोध पत्र।				
2	स्थानीय संघ की बैठक में सपंत्ति खरीद/अनुदान से संबंधित पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपी। (यदि आवश्यकता हो तो)				
3	साधुमार्गी परिवार साधुमार्गी के अतिरिक्त अन्य परिवार कुल				
4	विक्रेता/दानदाता की ओर से टाइटल क्लीयरेंस तथा संपत्ति या जमीन से संबंधित दस्तावेज।				
	संपत्ति/प्लॉट एरिया व नक्शा				
	संपत्ति के मालिक का नाम				
	पट्टा/रजिस्ट्री की प्रतिलिपी				
	कुल लागत : 1. संपत्ति प्लॉट की लागत 2. पंजीयन एवं स्टाम्प व्यय 3. अन्य व्यय				
5	तीसरे पक्ष से भूमि/संपत्ति का मूल्यांकन। (यदि आवश्यकता हो)				
6	स्थानीय अधिवक्ता (वकील) से एग्रीमेंट का ड्राफ्ट।				
7	एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को केन्द्रीय कानूनी सेल से स्वीकृती बाबत् भूमि के मूल्यांकन रिपोर्ट, विक्रेता/दानदाता द्वारा उपलब्ध करावाए गये संपत्ति के दस्तावेजों के साथ भिजवाना।				
6	भूमि क्रय/हस्तांतरण हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना। (दानदाता द्वारा अधिकृत/आंचलिक उपाध्यक्ष–मंत्री/स्थानीय अध्यक्ष–मंत्री में से कोई एक या दो व्यक्ति)				
7	दस्तावेजों का पंजीकरण।				
8	स्थानीय संघ के साथ एम ओ यू।				
9	संघ आबद्धता				
10	समता भवन संयोजक समिति				
11	समता भवन में अलग से परठने की जगह अनिवार्य है (लगभग 100 से 200 फीट)				

सूचना प्रदाता का विवरण :

नाम : मोबाईल नंबर : हस्ताक्षर :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

संस्था पंजीयन क्रमांक – 102 / 1964–65

श्री अ.भा.साधुमार्गी जैन संघ के स्वामित्व या सहयोग से समता भवन के निर्माण होने पर स्थानीय संघ के साथ एम.ओ.यू.

1. समता भवन का भूमि वंदन – परिवर्द्धन कार्यक्रम / भवन लोकार्पण / उद्घाटन आदि के कार्यक्रम साधुमार्गी परंपराओं व मूल्यों के अनुसार हो, हरी, फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि का उपयोग ना हो, बैंड बरगोड़ा आदि ना हो, सारे आयोजन संघ की आयोजन नियमावली के अनुसार ही हो।
2. समता भवन का उपयोग संघ की आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों, संस्कार निर्माण एवं संघ की उद्देश्य पूर्ति के लिए ही होगा।
3. समता भवन को व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं दिया जायेगा।
4. सामाजिक गतिविधियां–उठावना आदि कार्यक्रम के लिए समता भवन उपयोगित किया जा सकता है, यदि इस संबंध में डोनेशन प्राप्त होता है तो उसका उपयोग स्थानीय संघ की उद्देश्य पूर्ति के लिए ही होगा।
5. स्थानीय संघ के अध्यक्ष/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का अधिकार एवं दायित्व है कि संघ की गतिविधियां संघ के उद्देश्य पूर्ति के लिए जवाबदारी से करें।
6. सभी गतिविधियां स्थानीय संघ एवं उन्हीं के उपयोग के लिए है अतः समता भवन रख रखाव/प्रोपर्टी टेक्स/मरम्मत आदि खर्चों के लिए पेमेण्ट का अधिकार एवं दायित्व स्थानीय संघ के अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष का रहेगा।
7. प्रोपर्टी टैक्स पावती वर्ष के अन्त में श्री अ.भा.सा.जैन संघ **H.O.** में रिकार्ड के लिए भिजवाएं।
8. संघ की संपत्ति का निरीक्षण 2 वर्ष में एक बार आंचलिक उपाध्यक्ष/मंत्री के साथ करे तथा उनके माध्यम से अवलोकन रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री को भिजवायें।
9. सूचना पट्ट पर श्री अ.भा.सा.जैन संघ से सम्बंधित नाम/पता/मो. नं/ई–मेल सुविधा के लिए लिखा हो।
10. समता भवन की आचार संहिता के साथ इसके उपयोग के नियम, स्वामित्व एवं उद्देश्य का सूचना पट्ट सुविधा के लिए प्रदर्शित होना चाहिए।
11. संघ सम्बंद्धता (Affiliation With SABSJS) प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित होना चाहिए।
12. किसी भी परिस्थिति में समता भवन में धुम्रपान, शराब, मांस या मांसाहारी वस्तुओं का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।
13. यदि कोई सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं तो वो उत्क्रान्ति/श्री अ. भा .सा. जैन संघ/स्थानीय संघ के नियमानुसार होनी चाहिए।
14. समता भवन के रंग–रोगन, मरम्मत, विनिर्माण, नवनिर्माण का निर्णय स्थानीय संघ संघहित में लेकर संपन्न करें।
15. समता भवन की दीवारों पर तीर्थंकर भगवंतों की एवं साधुमार्गी परंपरा के अनुसार आचार्यों/पूर्वाचार्यो/उपाध्याय प्रवर की ही जय लिखी जाएगी। चातुर्मासिक अवधि में विराजित चारित्र आत्माओं का नाम पर्दे पर लिखा जा सकता है।
16. वंदन – परिवर्द्धन, लोकार्पण, उद्घाटन आदि कार्यक्रमों के ई आमंत्रण पत्र भेजे जा सकते हैं, जिसका प्रारूप निर्माण समिति से प्राप्त करना होगा या बनवाना होगा।
17. भूमि क्रय एवं निर्माण में संभावित सहयोगियों को वंदन परिवर्धन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का ई कार्ड भेजना आवश्यक रहेगा।
18. समता भवन आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करना रहेगा।
19. समता भवन वंदन,परिवर्धन और उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रम सादगीपूर्ण व आडम्बर रहित होना अपेक्षित रहेगा।
20. फाल्गुनी पर्व एवं पर्युषण पर्व पर यदि संघ में चारित्र आत्माएं नहीं विराज रहे हो तो आपको ***समता प्रचार संघ*** से स्वाध्यायी आमंत्रित करना अनिवार्य रहेगा।

हमारा संघ उपरोक्त सभी नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।

स्वीकृति प्रदाता
(अध्यक्ष –स्थानीय संघ)

स्वीकृति प्रदाता
(मंत्री –स्थानीय संघ)

गवाह
(केंद्रीय संघ)

गवाह
(स्थानीय संघ)

समता भवन निर्माण प्रक्रिया

1. आज की परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार समता भवन का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि श्रावक–श्राविकाएं सामायिक, पौषध, संवर, स्वाध्याय एवं धर्म आराधना कर सकें। भवन मौसम के अनुकूल रहे।
2. समता भवन कल्पनीय होना चाहिए।
3. समता भवन निर्माण साधु–संतों के निमित नहीं होना चाहिए।

1. समता भवन (Layout)			**सलाहकार नाम, शिक्षा, स्थान, मो.न**	**Remark**
(A)	प्लॉट	संभवतया प्लॉट आयाताकार या वर्गाकार होना चाहिए।	1. राकेश जी बोहरा आर्किटेक्ट/अक्कलकुआ मो. 9421992051 2. अर्चिल जी आब्भानी, आर्किटेक्ट/मंदसौर, मो. 9826762962 3. श्रेया जी सूर्या, आर्किटेक्ट/उज्जैन मो.9111606622 4. शुभम जी बोथरा, आर्किटेक्ट/मुम्बई मो. 9321558692	
(B)	प्लान	योजना ऐसे प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट या इंटीरियर से बनवाएं जिसको जैनिज्म की जानकारी हो। जरूरी आवश्यकताओं की जानकारी उसे उपलब्ध करवाना चाहिए।		
(C)	दिशा	समता भवन का प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए।		
(D)	तल (फ्लोर)	शहर/गांव/कस्बे एवं परिवारों के अनुसार समता भवन 1 से 3 तल का हो सकता है। अंडर ग्राउंड भी किया जा सकता है।		
(E)	हॉल/कमरे	एक हॉल या 2 कमरे जिसका उपयोग प्रार्थना/प्रतिक्रमण/पौषध/संवर/स्वाध्याय के लिए किया जा सके। **महत्त्वपूर्ण** – इस तल पर बिजली एवं पानी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए।		
(F)	पुस्तकालय	भवन में पुस्तकालय के लिए स्थान अवश्य हो। पुस्तकालय के लिए आवश्यक सामग्री **i.** स्टील, पारदर्शी ग्लास या लकड़ी की आलमारी **ii.** मार्बल या लकड़ी की रैक		
(G)	वस्त्र परिवर्तन कक्ष	ग्राउंड फ्लोर या प्रथम तल पर अलग से वस्त्र परिवर्तन कक्ष होना चाहिए।		
(H)	भोजनशाला	भोजनशाला का निर्माण अलग से होना चाहिए। इसमें प्रवेश व निकास के लिए समता भवन से अलग होना चाहिए।		

2. समता भवन कन्सट्रक्शन			**सलाहकार नाम, शिक्षा, स्थान, मो.न.**	**Remark**
(A)	नींव	नींव इतनी मजबूत हो कि भविष्य में 1–2 फ्लोर का और निर्माण हो सके।	1. श्री पदम जी दक/बिल्डर, मैसूर मो. 9880645414	
(B)	खिड़कियां/दरवाजे	• खिड़कियां एक फीट या इससे कम की ऊंचाई से ही बनानी चाहिए। • खुलने वाली ही होनी चाहिए। स्लाइडिंग खिड़की/गेट नहीं होनी चाहिए। • लकड़ी या ऐसे मेटल की हो जो वातावरण के अनुकूल हो। • मच्छर की जाली	2. श्री दलपत जी ओस्तवाल, बिल्डर/भीलवाड़ा मो. 9828967002	

		खिड़कियों / दरवाजों पर अतिरिक्त लगानी चाहिए। संभव हो तो मच्छर जाली की खिड़कियां बनानी चाहिए।		
(C)	सीढ़ियां	• सीढ़ियां गोल न होकर सीधी होनी चाहिए। • स्टेप की ऊँचाई 6 इंच तक होनी चाहिए। • छोर खुरदरे होने चाहिए। • सीढ़ियों के छोर पर रेडियम स्टीकर लगाना चाहिए।	3. श्री विनित जी सूर्या कन्सलटेंट / उज्जैन मो. 6264953757	
(D)	बालकनी	भवन के चारों तरफ कम से कम 4–5 फीट चौड़ी बालकनी होनी चाहिए।		
(E)	कमरे / हॉल	• कमरे या हॉल की ऊंचाई कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। • बीच में बीम न हो तो अच्छा। अति आवश्यक होने पर कम से कम हो।	4. श्री देवीलाल जी रांका / बिल्डर, चैन्नई मो. 9941505646	
(F)	छत	• छत आधा कवर होना चाहिए जिससे रात्रि संवर हो सके। • छत बनाते वक्त बीच में घड़े रख सकते हैं ताकि गर्मी व सर्दी में तापमान सामान्य रहे। • छत के नीचे वाले तल पर Hollow Block हो ताकि छत की गर्मी नीचे नहीं आए।		
(G)	फर्श	• फर्श कोटा स्टोन या किसी ऐसे स्टोन का हो जो सर्दी में गरम एवं गर्मी में ठंडा रहे। • मार्बल या ग्रेनाइट नहीं लगाना है। • मैट फिनिश होना चाहिए। • फर्श का कलर सफेद या हल्का होना चाहिए। गहरे कलर का फर्श न बनवाएं।		
(H)	कलर / प्लास्टर	• मैटीरियल ऐसा होना चाहिए जिससे वातावरण अनुकूल रहे। • गर्मी / सर्दी में तापमान का फर्क पड़ता हो। • वर्षा से जल्दी खराब न हो। • फंगस / फूलन / काई नहीं जम सके।	1. श्री मंगल जी पटवा, उदयपुर / कलर व्यवसायी मो. 7665699777 2. श्री दीपक जी मोगरा उदयपुर / कलर व्यवसायी मो. 9460507711	
(I)	परठने की जगह	• पुरुष एवं महिला के लिए अलग–अलग हो। • सीढ़ियों के नजदीक या चारदीवारी के पास • 100 से 150 फीट तक का एरिया होना चाहिए। • बड़ी नीत के लिए अच्छी तरह से कवर किया जा सकता है। (जोधपुर में ऐसा बनाया गया है। उसकी जानकारी कर सकते हैं। करीब 200 से 300 स्केवर फिट तक।)		

समता भवन में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

i. पादत्राण (जूते–चप्पल) जमा करने हेतु प्रवेश पर उपयुक्त जगह होनी चाहिए।
ii. मोबाइल/सेल की घड़ी इत्यादि रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था हो।
iii. मच्छरदानी/पाट/कुर्सियां/श्याम पट्ट/डंडिया हेतु भंडार गृह होना चाहिए।
iv. संवर/पौषध के लिए पुरुष एवं महिला का पृथक स्थल। यदि एक तल पर संभव न हो तो अभिगम हेतु बाह्य सोपान।
v. संवर हेतु अर्द्ध आवरित क्षेत्र हो।
vi. फर्नीचर/खिड़कियों में काम आने वाली लकड़ी पर कैमिकल लगाकर ही उपयोग करना चाहिए।
vii. समता भवन आचार संहिता का बोर्ड प्रवेश स्थल पर ही लगाना चाहिए।
viii. पार्किंग के लिए ऐसी जगह हो जिससे गाड़ियों की आवाज से समता भवन में व्यवधान न हो।
ix. **रखरखाव :–**
- निर्माण इस प्रकार से हो कि रखरखाव न्यूनतम हो।
- नियमित रखरखाव हेतु या तो किसी व्यक्ति को नियोजित करें (हमें सिक्खों से सीख लेनी चाहिए, जो गुरुद्वारों में जाकर 'कार सेवा' करते हैं।)
- नियमित अवधि से (3 से 5 वर्ष) भवन का रंगलेप होना चाहिए।
- मूल्यवान सामग्री टाले– स्थानीय सामग्री का प्रयोग करें।

संभावित निर्माण क्षेत्रफल–

परिवार संख्या	आवश्यकताएँ	कुल क्षेत्र	
		आर.सी.सी	छप्पर
0–50	दो कक्ष, एक छोटे आकार के हॉल	500 वर्ग फुट	1000 वर्ग फुट
50–75	दो कक्ष, एक मध्यम आकार के हॉल	1700 वर्ग फुट	
75–100	दो कक्ष, एक बड़े आकार का हॉल, वस्त्र परिवर्तन स्थल एवं पुस्तकालय	2500 वर्ग फुट एक तल पर	
100–150	चार कक्ष, एक बड़े आकार का हॉल, वस्त्र परिवर्तन स्थल, पुस्तकालय, एक भण्डार–गृह	2500 वर्ग फुट तथा 1000 वर्ग फुट अन्य तल पर	

विशेष–: समता भवन के भूतल, प्रथम या द्वितीय तल का निर्माण सदस्यों की संख्या और प्लॉट के साईज के अनुसार किया जा सकता है।

वित्तीय संरचना (Funding Structure)

(क) निर्माण हेतु निधि (Construction Fund)

क्षेत्र	अनुमानित लागत	निधि स्रोत
ग्रामीण/गाँव क्षेत्र	रुपये 25 लाख	पूर्व (पुराने) दानदाता
शहरी/नगर क्षेत्र	रुपये 50 लाख या इससे ऊपर	पुराने एवं नए दानदाता

(ख) भूमि प्रदाता (Land Provider) वर्गीकरण

श्रेणी	योगदान राशि	निधि वितरण अनुपात
I	रुपये 5 लाख	–
II	रुपये 10 लाख	–
III	आवश्यकतानुसार	आधा स्थानीय संघ एवं आधा केंद्रीय संघ द्वारा

5. अन्य नियमावली

1. भवन आदि का नामकरण साधु–साध्वियों के नाम से न किया जाये। आचार्यों का नाम जोड़ने के लिये केन्द्रीय संघ की स्वीकृति लिखित में आवश्यक है।
2. समता भवन, साधुमार्गी जैन संघ से सम्बन्धित विद्यालय, चिकित्सालय, सार्वजनिक भवन तथा चौक, मार्ग आदि के उद्घाटन/शिलान्यास के प्रसंगों में साधु–साध्वियों का नाम अथवा सान्निध्य आदि के रुप में शिलालेख में नहीं लगाना चाहिए।
3. समता भवन पर साधुमार्गी जैन संघ का चिन्ह (लोगो) अवश्य लगाया जाए।
4. समता भवन संबंधित आचार संहिता का पूर्णरुपेण पालन होना चाहिए।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ	
नवीन समता भवन निर्माण अथवा विद्यमान भवन के नवीनीकरण हेतु अर्थ सहयोग योजना आवेदन व संसूचना प्रपत्र	
कृपया पूर्ण जानकारी दें (ब्लॉक अक्षरों में) व सूचक चिन्ह (√) अंकित करें, जहां उपयुक्त हों	
प्रपत्र संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग)	
अभिलेख संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग)	
1. मूलभूत जानकारी (I) – नगर / ग्राम जहां समता भवन निर्माण प्रस्तावित है। (II) – क्षेत्र में निवासरत साधुमार्गी परिवारों की संख्या (III) – क्षेत्र में निवासरत अन्य स्थानकवासी जैन परिवारों की संख्या (IV) – स्थल / पता जहां समता भवन स्थापित / निर्मित / पुनःनिर्मित होगा। (V) – भूखंड का आकार, वर्गफीट (VI) – प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल(Built-up area proposed) (VII) – उपरोक्त (vi) का औचित्य (VIII) – तत्संबद्ध भूखंड का वर्तमान स्वामित्व क्या स्वामित्वधारी का स्वत्व निर्बध (Clear Title) है (IX) – निकटस्थ / प्रतिवेश भूखंडों का विवरण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण (X) – प्रतिदिन समता भवन में कम से कम एक बार पधारने वालों की अपेक्षित संख्या (XI) – सामायिक, प्रार्थना, प्रतिक्रमण अथवा अन्य किसी धार्मिक अनुष्ठान हेतु क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां जो वर्तमान में आयोजित होती हैं। 2. निर्माण प्रकल्प की अनुमानित अवधि–समापन की अपेक्षित तिथि 3. नगर / महानगर में विद्यमान समता भवन (संख्या) 4. आम सभा द्वारा निर्दिष्ट प्रकल्प समन्वयक 5. आम सभा द्वारा निर्दिष्ट प्रकल्प समन्वयक (Project Coordinator) व अन्य अधिकारी जिन्हें यथासमय समापन का तथा दैनिक नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया हो। 6. क्या भवन की रुप रेखा कल्प मर्यादा प्रक्रिया के अनुरुप है?	: .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : ....

7.	प्रकल्प की लागत	अर्थ सहयोग के स्त्रोत	
निर्माण लागत	....	स्थानीय संघ के पास उपलब्ध राशि	....
अन्य लागत	....	स्थानीय संघ सदस्यों से संग्रहित राशि (प्रस्तावित)	....
		श्री संघ द्वारा प्रदत्त अर्थ सहयोग (प्रस्तावित)	....
कुल लागत (अ)	....	कुल राशि (ब)	....

8. स्थानीय प्राधिकारी की सहमति (अ) प्राधिकारी का नाम (ब) पद (स) टिप्पणी (जिस आम सभा में प्रस्तावित समता भवन हेतु निर्णय लिया गया उसका कार्यवृत्त संलग्न करें।) स्थल : .... दिनांक :	 : .... : .... : .... स्थानीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर
9. कार्यालय उपयोग हेतु (क) आवेदन की तिथि (ख) दस्तावेज की जांच की तिथि (ग) अर्थ सहयोग संस्वीकृति की तिथि (अ) संस्वीकृति विवरण i- संस्वीकृत राशि ii- संवितरण की प्रस्तावित अनुसूची	 : .... : .... : .... : .... : ....

दस्तावेजीकरण की प्रस्तुति

1. जिस आम सभा में समता भवन निर्माण हेतु संकल्प प्रस्तावित/पारित किया गया, उसके कार्यवृत्त की प्रति।
2. निर्बध स्वत्व की पुष्टि करते हुए एडवोकेट के रिपोर्ट की प्रति
3. श्री संघ के विधिक टीम द्वारा जारी अनुमति पत्र
4. सम्पूर्ण प्रकल्प की अनुमानित लागत; सहायक दस्तावेज व कोटेशन (Quotation) सहित
5. संस्वीकृत परियोजना (Plan)/पंचायत परियोजना (Plan) अथवा मानचित्र, जिसमें प्रस्तावित भवन की संरचना दर्शायी गई हो। परियोजना में क्षेत्र, कक्षों की संख्या, महाकक्ष (Hall) इत्यादि सुस्पष्ट रुप से चित्रित/विवरणित किया गया हो।

समता भवन दानदाताओं की सूची :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ समता भवन निर्माण संभावित दानकर्ताओं द्वारा अनुदानित अंश		
क्रं.सं.	विवरण	राशि प्रति समता भवन / प्रति दानकर्ता (रुपये)
1	भूमि प्रदाता सहयोगी	
2	उद्घाटनकर्ता / सहयोगी	5,00,000
3	शिलान्यासकर्ता / सहयोगी	5,00,000
4	विशिष्ट स्तम्भ अर्थ सहयोगी	3,75,000
5	आधार स्तम्भ अर्थ सहयोगी	2,50,000
6	स्तम्भ अर्थ सहयोगी	1,25,000
7	विशिष्ट अर्थ सहयोगी	75,000
8	विशेष अर्थ सहयोगी	50,000
9	साधारण अर्थ सहयोगी	25,000

नोट :– 25000 / – से नीचे दानदात्ताओं का नाम पट्ट पर नहीं लिखा जाएगा।

समता भवन पट्ट का प्रारुप

।। जय गुरु राम।।   ।। जय महावीर।।   ।। जय गुरु राम।।

समता भवन ....

(अंतर्गत : श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर)

भूमि वंदन / शिलान्यास कर्त्ता / सहयोगी

श्रीमान ....

उद्घाटनकर्त्ता / सहयोगी

श्रीमान ....

भवन निर्माण हेतु दानदाताओं का विवरण

भूमि प्रदाता सहयोगी : ....

विशिष्ट स्तंभ अर्थ सहयोगी : ....

आधार स्तंभ अर्थ सहयोगी :: ....

स्तंभ अर्थ सहयोगी : : ....

विशिष्ट अर्थ सहयोगी :: ....

विशेष अर्थ सहयोगी : : ....

साधारण अर्थ सहयोगी : : ....

नोट : भूमि प्रदाता, भूमि वंदन एवं उद्घाटनकर्ता के अतिरिक्त अन्य वगीकृत दानदाताओं की संख्या सीमित नहीं है। भूमि प्रदाता एवं अन्य दान दाताओं का नाम एक ही पट्ट पर अंकित होगा

समता भवन – लेखा जांच सूची

समता भवन हेतु बैंक खाता खुलवाने हेतु अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी- कोषाध्यक्ष श्री राजेश कुमार जैन (बच्छावत) (9024881839)

√

नाम- श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ (खाता समता भवन-गाँव/शहर का नाम)
या------------------------- द्वारा अधिकृत 2 व्यक्तियों के नाम पर

किसी भी जानकारी के लिए संपर्क सूत्र – √

लेखा प्रबंधक- केन्द्रीय कार्यालय

भुगतान आधार √

- संलग्न प्रारूप के अनुसार खाते का मासिक विवरण । (फार्मेट संलग्न)
- कार्य पूर्ण होने पर :
- फोटो एवं कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र – अधिकृत व्यक्ति/ठेकेदार/इंजीनियरों द्वारा : केन्द्रीय कार्यालय में भिजवायें।

भुगतान : √

- टीडीएस भुगतान वाले विक्रेता को सीधे (यदि कोई हो)
- मजदूरी आदि का नकद में (उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार)

बिल और रसीदें : √

कृपया विक्रेता से बिल और रसीद अवश्य प्राप्त करें।
निर्माण स्थल पर उचित रिकार्ड का संधारण करें।

वर्ष के अंत के खाते : √

स्थानीय चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट पूर्ण करावें और ऑडिट रिपोर्ट प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से कोषाध्यक्ष को भेजें। (treasurer@sadhumargi.com)

स्वीकृत	द्वारा
अधिकृत व्यक्ति	H.O. SABSJS
समता भवन (-----------)	लेखा विभाग

समता भवन में लघुशंका परठने का निरवद्य उपाय

पहले जनसंख्या कम और खुली भूमि अधिक होने के कारण परठने में समस्या नहीं आती थी। परन्तु वर्तमान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण श्रावक–श्राविकाओं को सामायिक, संवर, दया, पौषध में परठने की बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है। इसलिए हमने 4–5 उपाय किये, उसमें से निम्न उपाय बहुत ही निरवद्य, सरल बहुत ही कम स्थान घेरने वाला, जीवों की बिना उत्पति किए, दुर्गन्ध रहित, आस–पास रहने वाले पड़ौसियों की बिना परेशानी वाला है। आप भी सोचें, समझें और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हम को बतायें। श्रावकों की संवर क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होवे, अतः यह उपाय उपयोगी है :–

जिस प्रकार छत के ऊपर हम पानी की टंकी बनाते हैं, उसी प्रकार छत के ऊपर–छत के लेवल से आधा फुट ऊपर 10 फुट गुणा 10 फुट=100 फुट (10x10=100) की टंकी बनावें। उसके अंदर से ढलान 10 फुट में आधा फुट अवश्य रखें। उस टंकी की अंदर की ऊँचाई 2 फुट रखें, उस टंकी के अंदर जो रोड बनाने के लिए 2 इंच के पत्थर काम में आते हैं, वह पत्थर 3/4 फुट रखें। फिर उसके ऊपर छोटे–छोटे पत्थर आधा इंच के जो बीम या छत बनाने में काम आते हैं वह 3/4 फुट रखें। उसके ऊपर पत्थर के कोयले की चूरी जली हुई काले रंग की 3/4 फुट रखें और उसके ऊपर 3 इंच खाली जगह रखें।

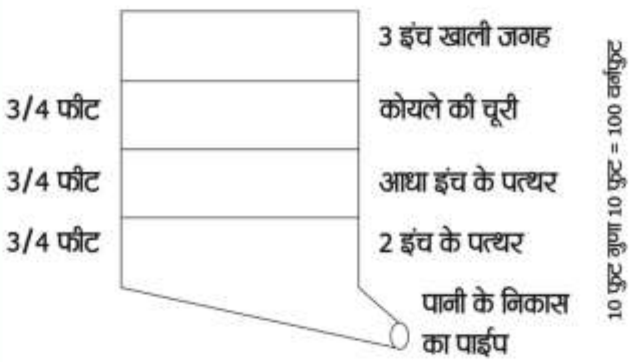

बाहर से इस तरह बनायी हुई पानी की टंकी की तरह दिखने वाली यह टंकी परठने की टंकी है। इस 10 फुट गुणा 10 फुट=100वर्गफुट टंकी का प्रतिदिन 200–250 व्यक्ति भी 50–100 वर्षों तक भी परठने के लिए उपयोग करें तो भी एकदम नयी व स्वच्छ, साफ–सुथरी लगती है। यह टंकी खुली होने के कारण पूरे दिन धूप पड़ने के कारण कोयले की चूरी के पानी के सोखने की क्षमता यथावत रहती है। ऊपर वाली धूप के कारण नीचे वाले पत्थर गर्म हो जाते हैं, उसके कारण एक साथ 50–100 व्यक्ति भी परठ दें तो भी वे पत्थर सोख लेते हैं। मात्र 5 मिनट में और नीचे तल तक वह पहुँच भी नहीं पायेगा; उसके पहले ही वह सूख जायेगा और वर्षा के दिनों में अगर धूप 10–15 या 20 दिन भी नहीं आवे और वर्षा चाहे जितनी तेज आवे, उस पानी से वह कोयले की चूरी और पत्थर स्वतः ही धुल जायेंगे। मैल, रेत, कचरा आदि नीचे जाकर टंकी के अंतिम भाग में लगी हुई पानी निकास वाली 2 इंच की पाईप से पूरा पानी सहित बाहर निकल जाएगा। ढलान 10 फुट में आधा फुट होने के कारण अंदर में पानी एक बूंद भी नहीं रहेगा।

टंकी बनाने में काम में आने वाली वस्तुएँ :–

1. बड़े पत्थर 2 इंच के व आधा इंच के छोटे पत्थर, जो हर जगह उपलब्ध होते हैं। यह बिल्डिंग बनाने के काम में आते हैं।
2. पत्थर के कोयले के छोटे–छोटे टुकड़े, जिनका आकार लगभग गेंहूँ के दाने से दुगुना होता है, यह पत्थर कोयले को अग्नि से जलाकर भाप स्टीम से बहुत तेज गर्म करके, उस पर केमिकल द्वारा अभिसंस्कृत करके बनाया जाता है, इसका नाम Activated Carbon Made From Coal है।
3. (1) इसे मैला कचरा सहित गंदे पानी को साफल करने के लिए काम में लेते हैं।

   (2) मल–मूत्र के अंदर मिले हुए पानी को वापस Treatment Plant द्वारा पानी को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है।

   (3) गटर के पानी की दुर्गन्ध निकालने के लिए।

   (4) शक्कर की फैक्ट्रियों में शक्कर को साफ करने के लिए।

   (5) शक्कर की फैक्ट्रियों की दुर्गन्ध बाहर नहीं फैले, उसके लिए।

   (6) और भी बहुत सारे प्रयोगों में यह काम में लिया जाता है।

   यह प्रतिदिन सैंकड़ों टन सुलभतया प्राप्त हो जाता है इसकी खपत प्रतिदिन सैंकड़ों टन है।

इसके निम्न गुण है :–

1. इसका रंग काला है, इसको बहुत वर्षों तक काम में लेने पर भी इसका रंग काला ही रहता है।

समता भवन में परठने के स्थल बनाने की विधि

मूत्र गड्ढे के लिए सामान्य खण्ड

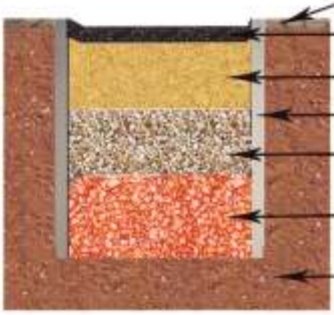

2. इस पर कितनी ही मात्रा में लघुशंका परठो तो भी वह सोख लेता है।
3. लघुशंका की दुर्गन्ध को सोख लेता है।
4. केमिकल द्वारा संस्कारित होने के कारण जिवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं।
5. वर्षा आने पर वर्षा के पानी से धुलकर स्वच्छ हो जाता है।
6. यह सस्ता, सुन्दर, टिकाऊ भी है, इसका रेट 24/– रूपये प्रतिकिलो का है।
7. प्राप्ति स्थल :

Mr. Amar Shah
Auro Carbon & Chemicals
707, Centre Point, R.C. Dutt Road,
Alkapuri, Vadodara&390007.
Ph. 265-2336393, 2336242
Mob. - 9898086689

Processing Method :

This is activated carbon made from coal. It is activated by steam to open the internal pores and increase the internal surface area, which absorbs the odour and other impurities.

Price will be Rs. 24/- Per kg Ex Ranoli +5% GST

उपरोक्त प्रक्रिया से बनाई गई टंकी को समता भवन, मुम्बई में एक वर्ष से काम में लिया जा रहा है और चातुर्मास में बाहर गाँव से पधारे हुए बहुत से दर्शनार्थी और स्थानीय श्रावक–श्राविकाओं द्वारा प्रतिदिन (250–300) सदस्यों द्वारा काम में लिया गया।

(अ) जहां पर यह बनाया गया है वहां से मात्र 5 मीटर की दूरी पर स्वाध्याय, ध्यान, रात्रि संवर आदि दिनभर धार्मिक क्रियायें करते थे, फिर भी दुर्गन्ध का नाम नहीं था।

(ब) कभी भी गर्मी में, बादलों द्वारा आकाश ढका होने पर वर्षा होने पर भी कभी दुर्गन्ध नहीं आती थी।

(स) प्रति रविवार, अष्टमी, पक्खी को बहुत सारे पौषध, दया करते हैं व वहीं पर संवर करते हैं तो भी दुर्गन्ध नहीं आती थी।

(द) आप स्वयं यहां पर पधार कर निरीक्षण कर, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(य) इसके बारे में जो भी जानकारी चाहें, निम्न फोन पर संपर्क कर सकते हैं :–

श्री गौतम जैन, मो. 9821083200
पता : समता भवन, समता मार्ग, जानकी मंदिर के पास,
वजीरा नाका, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई–4000092

8. इसी प्रकार का टेंक भावनगर में दादाबाड़ी के पास वाले उपाश्रय में जमीन पर समतल भूमि के अंदर 15 फुट गुणा 6 फुट का बनाया है। जिससे सीधे जमीन के अंदर लघुशंका और वर्षा का पानी चला जाता है, जो कि पिछले सात वर्ष से कम आ रहा है। आप इनसे संपर्क करके सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है :–

   अ. श्री हितेश भाई, मो. 9825707215
   ब. श्री अजय भाई, मो. 9426924145
9. यह जमीन में भी, ऊपर भी कहीं पर भी बना सकते हैं।
10. अगर आवश्यकता लगे तो कोयले की चूरी 4–5 वर्ष के बाद बदल भी सकते हैं। पत्थर को तो 100 वर्ष भी बदलने की आवश्यकता नहीं है।
11. यदि अन्य जानकारी चाहें तो कृपया उपरोक्त पत्ते पर संपर्क करें।

समता भवन आचार संहिता

1. समता भवन एक पवित्र स्थल है। इसकी पवित्रता बनाये रखना सबका दायित्व है।
2. समता भवन में किसी भी गृहस्थ का या अन्य किसी का भी फोटो न लगाया जाए।
3. समता भवन में प्रतिदिन आध्यात्मिक कार्यक्रम, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान, जाप, पाठशाला, समीक्षण ध्यान आदि धार्मिक क्रियाएँ व्यवस्थित रुप से यथानुकूल चलाई जाएं।
4. समता भवन में विवाह आदि किसी भी प्रसंग पर भोजन आदि के कार्यक्रम धर्माराधना स्थल पर नहीं होंगे।
5. यदि अनुकूलता हो तो समता भवन में केन्द्रीय संघ द्वारा संचालित व्यापक गतिविधियों हेतु अपेक्षित स्थान यथासंभव आरक्षित रखा जाये।
6. समता भवन यदि खाली हो तो अन्य सम्प्रदाय के साधु–साध्वियों को ससम्मान निम्न नियमानुसार स्थान उपलब्ध कराया जाये :
   - सूर्यास्त के बाद स्थानक में साधु होवे तो बहनों का प्रवेश नहीं हो और साध्वी जी होवे तो भाई प्रवेश न करें।
   - संत और सतियां जी म.सा. एक साथ रात नहीं ठहर सकते। दिन में श्रावक–श्राविकाओं की साक्षी में ज्ञान–ध्यान सीख सकते हैं व आवश्यक चर्चा कर सकते है।
   - अकेले में भाई साध्वी जी के पास एवं बहन साधुजी के पास नहीं बैठें।
   - एकल विहारी साधु जी या एक दो साध्वी जी एक रात्रि रुक सकते है।
   - संघ से निष्कासित/निकले हुए साधु–साध्वी जी दो रात्रि रुक सकते है।
   - किसी भी साधु–साध्वी जी को समता भवन में फंड इकठ्ठा करने की मनाही है।
   - संत–सतियों के फोटो खींचना, ऑडियो, वीडियो बनाना एवं लाइट, पंखे, माइक, मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग करना सख्त मना है।
   - जड़ पूजा निषेध है। किसी भी तरह का दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि का उपयोग वर्जित है।
   - सचित्त माला/फूल या अन्य कोई भी सचित्त वस्तु का उपयोग वर्जित है।

अन्य नियम

✓ सामायिक/पौषध आदि में उपयोग आने वाले उपकरण, राख, 32 आगम व अन्य पठन उपयोगी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

✓ अचित वस्तु का विवेक रखें।

✓ समता भवन में यदि होली एवं पर्यूषण पर्व पर किन्ही भी चारित्रात्माओं का विराजना न हो रहा हो तो समता प्रचार संघ (अंतर्गतः श्री अ.भा.सा.जैन संघ) से इन अवसरों पर स्वाध्यायी बुलाना आवश्यक होगा। जिससे वहां के सदस्यों को धर्माराधना का लाभ प्राप्त हो।

✓ समता भवन में प्रवेश के सारे अधिकार श्री अ.भा.साधुमार्गी जैन संघ के पास सुरक्षित है।

✓ श्री अ.भा.सा. जैन संघ को उपरोक्त नियमों के अलावा भी नियम बनाने व लागू करने का अधिकार है।

कार्यालय सहायता सम्पर्क सूत्र :

केन्द्रीय कार्यालय सम्पर्क : श्री यश गोलछा – 7073311108, 7976520588, 9602026899

समता भवन शिलान्यास एवं उद्घाटन प्रक्रिया

(अंतर्गत : श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ)

1. समता भवन वंदन परिवर्धन/शिलान्यास एवं लाकार्पण/उद्घाटन के कार्यक्रमों हेतु निमंत्रण पत्र नहीं छपाएं। ई–निमंत्रण पत्र एक पेज का कर सकते हैं, जो सभी समता भवन दानदाताओं को अवश्य रूप से भेजे जावें।

2. शिलान्यास से पूर्व ही स्थानीय संघ (कार्यक्रम प्रायोजक) आवश्यक सभी दस्तावेज, केन्द्रीय संघ को प्रस्तुत कर देवें।

3. ई–कार्ड में सभी पदाधिकारियों के नाम लिखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व रा. पदाधिकारी, सम्मानित दानदाता, स्थानीय व आंचलिक पदाधिकारी आदि लिखा जा सकता है। प्रायोजक स्थानीय संघ व निवेदक समता भवन निर्माण समिति होगी।

4. सभी समारोहों का सादगी पूर्ण आयोजन नियमावलियों के अनुसार ही हो। जड़ पूजा (हरी का प्रयोग) बैंड बाजा, वरघोड़ा आदि न हो।

5. पेज न. 3 पर वर्णित नियमों की पूर्ण रूप से पालना हो।

6. उद्घाटन एवं शिलान्यास के समय पर विशेष सहयोगी उपस्थित न हो सकें तो भी उनके नाम भूमिवंदन/शिलान्यास कार्यक्रम सहयोगी एवं उद्घाटन/लोकार्पण कार्यक्रम सहयोगी के रूप में पट्ट पर लिखने हैं।